न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार गौरा (आर0 ए0 एस0)
मुकदमा नं0 :- 49/2019
दायर दिनांक :- 06.08.2019

उनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र किशनलाल
2. बनवारी पुत्र किशनलाल
3. प्रहलाद पुत्र किशनलाल
4. संतोष पुत्र किशनलाल
5. गोपाल पुत्र श्रवण
6. जगदीशप्रसाद पुत्र कल्याण
7. छोटेलाल पुत्र कल्याण
8. संगीता
9. ललिता पुत्री कल्याण
10. कविता पुत्री कल्याण
11. प्रियंका पुत्री कल्याण
12. कैलाश पुत्र रामकिशोर
13. पूनी पत्नि रामकिशोर

जाति ब्राहम्ण निवासी बंध चौबियान भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा

बनाम

1. रामफूल पुत्र नानगा
2. कन्हैया पुत्र नानगा
3. रामजीलाल पुत्र रामसुखा

जाति मीना निवासी भाकिडिया वाली ढाणी ग्राम भाण्डारेज तहसील जिला दौसा

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा - अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि0

::निर्णय::

दिनांक 04.04.2023

प्रार्थीगण मय अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित खाता संख्या 39 की भूमि आराजी खसरा नं. 2351, 2352, 2369 ला0 2388, 2393 ला0 2396, 2354 व 2365 कुल किता 26 कुल रकबा 4.96 है0 एवं खाता संख्या 89 की आराजी खसरा नं. 2265 ला0 2305 कुल किता 40 कुल रकबा 16.57 है0 भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयत में खसरा नं. 2266 रकबा 1.29 है0 भूमि को प्रार्थीगण ने लाखों रूपये लगाकर उपजाऊ बनाया है तथा खसरा नं. 2266 के नक्शे में तस्मीम अनुसार खसरा नं. 2266 का भू भाग जो खसरा नं. 2485, 2486, 2487, 2365, 2367, 2363 से लगता हुआ है वो भू भाग वर्तमान में मौके पर प्रार्थीगण के आने जाने एवं कृषि संसाधन लाने के लिए रास्ते के रूप में उपयोग की जा रही है तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त खातों की भूमि खसरा नं. 2396, 2395, 2394, 2369, 2375, 2376 पर भी आने जाने के लिए खसरा नं. 2266 के इसी भू भाग का इस्तेमाल करते हैं, किंतु अप्रार्थीगण जो कि खसरा नं. 2485, 2486 के खातेदार है जो कि जबरन लाठी के बल पर उक्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं।

उक्त आराजी से अप्रार्थीगण अथवा अन्य किसी का किसी का कोई संबंध नही है किन्तु अप्रार्थीगण लाठी वाले पैसे वाले लोग हैं। जिनका एकमात्र उद्देश्य प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी आराजी में से खसरा नं. 2266 को हडपने का है जिसके लिए वे हमेशा प्रयासरत रहते हैं तथा प्रार्थीगण से आये दिन झगडा फसाद करने को आमादा रहते हैं।

यह है कि दिनांक 21.07.2019 को अप्रार्थीगण अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 2266 पर आयें और प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे दखल उत्पन्न करने लगे व प्रार्थीगण को जबरन उक्त आराजी से बेदखल कर कब्जा करने की एवं जबरन निर्माण कार्य करने व प्रार्थीगण को आने-जाने में व कृषि कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने की धमकी दी व ऐलानिया कहा कि वे प्रार्थीगण को उक्त भूमि से आना जाना बंद करेंगे व खसरा नं. 2266 में प्रार्थीगण को काश्त करने नहीं देंगे व जबरन कब्जा करके रहेंगे। जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को काफी समझाया कि उक्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है जिससे अप्रार्थीगण अथवा अन्य किसी का कोई संबंध वास्ता नहीं है किंतु अप्रार्थीगण नहीं मान रहे हैं। यह है कि यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त अनुचित उद्देश्य में कामयाब हो गयें तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2266 रकबा 0.41 है0 भूमि वाके ग्राम भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से, किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने से व राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दिनांक 06.8.2019 को प्रकरण को दर्ज कर ग्राम भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नंबर 2266 में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा न करने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 06.08.2019 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 असालतन तामिल होने के बावजूद न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण संख्या 3 की ओर से जवाब पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब टीआई पेश नहीं करने पर 50 रुपये की कोस्ट पर अवसर दिया गया। पुनः 100 रुपये की कोस्ट पर अप्रार्थीगण संख्या 3 की ओर से जवाब पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया। इसके उपरांत भी अप्रार्थीगण सं. 3 की ओर से कोस्ट पर भी कई अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं करने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 3 का जवाब बन्द किया गया। दिनांक 17.03.2021 को अप्रार्थीगण सं. 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया जिसे 500 रुपये की कोस्ट पर स्वीकार कर पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया। दिनांक 04.04.2023 को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया।

1. **<u>प्रथम दृष्टया मामलाः-</u>** इस अर्थ यह कतई नही है कि मामला पूर्णतः साबित कर दिया क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त नहीं है।

उपर्युक्त प्रार्थना पत्र में ग्राम भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा में भूमि खसरा नम्बर 2266 रकबा 0.41 है0 भूमि स्थित है। प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार प्रार्थीगण है। हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में जाता है।

2. **<u>सुविधा का संतुलनः-</u>** अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा के संतुलन में एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है इसका सामान्य तात्पर्य है कि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया गया तो अप्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं होगी। चूंकि हस्तगत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पास खातेदारी अधिकार होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।

3. **<u>अपूर्णीय क्षतिः-</u>** उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित हुये हैं। अतः हमारा भी विनम्र अभिमत है कि यदि अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थी पक्ष को अपूर्णीय क्षति हो सकती हैं। अतः अपूर्णीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु यथाः- प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना को स्वीकार हम विधिसंगत समझते हैं।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

:: आदेश ::

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थिया अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 इस आशय का पारित किया जाता है कि वाके ग्राम भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2266 रकबा 0.41 है० भूमि स्थित है। भूमि में प्रार्थीगण के हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करने में अप्रार्थीगण ताफैसला वाद दखल न देवें तथा भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।

संजय कुमार मीणा (आर.ए.एस. अति. चार्ज)
सहायक कलक्टर, दौसा

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा